न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 385/2003 निर्णय दिनांक :— 05.03.2025

उनवान

1. अमरचन्द पिता उदाजी चमार निवासी नाराणपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
   1/1 प्यारा पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/2 भैरू पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/3 रामचन्द्र पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/4 जगदीश पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/5 प्रेम पुत्री अमरचन्द समस्त निवासी नाराणपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी ईरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
   1/1 भंवर लाल पुत्र जटाशंकर ब्राहम्ण
   1/2 सीता पुत्री जटाशंकर ब्राहम्ण
   1/3 रूकमण बाई पत्नी जटाशंकर ब्राहम्ण समस्त निवासी ईरास तह0 एवं जिला भील.
2. रामदेव पिता बालूरामजी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बादल टाकीज के पीछे आजादनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत
2. प्रतिवादी संख्या 01/1 लगायत 1/3 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव
3. प्रतिवादी संख्या 02 की और से अधिवक्ता श्री नानू लाल तेली
4. प्रतिवादी संख्या 03 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी अनुसूचित जाति का होकर गरीब कृषक है और उसकी आजीविका केवल कृषि कार्य से ही चलती है व इसके अलावा उसके पास अपने भरण—पोषण व आमदनी का कोई जरिया नहीं है। चूंकि वादी भूमिहीन कृषक था व कृषि ही उसका व्यवसाय है इसलिये ग्राम मालोला पटवार क्षेत्र मालोला तह0 व जिला भीलवाड़ा सरहद में स्थित साबिक आराजी नम्बर 1—3 में से रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी को प्रतिवादी तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 300/1971 में दिनांक 19.08.1971 को नियमन से आवंटित की। इस आराजी पर वादी का संवत् 2011 से ही निरन्तर कब्जा था और वह इस पर संवत् 2011 से ही कृषि कार्य करता आ रहा था और अपनी इसी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है और प्रतिवादी तहसीलदार भीलवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 19.08.1971 की अनुपालना में उसने नजराना व पैनेल्टी नियमानुसार जमा करा दी व राजस्व अभिलेखों में भी वादी का नाम इस आराजी के लिये अंकित कर दिया गया व इस प्रकार वादी आराजी नम्बर 1—3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार व कब्जेदार कास्तकार है और इस कृषि भूमि पर निरन्तर बिना किसी बाधा व रोक टोक के कृषि कार्य करता आ रहा है। उक्त कृषि आराजियात के पड़ोस इस प्रकार है—

पूर्व —देवी जाट मृतक व मिश्री खां का खेत मृतक देवी का पुत्र हजारी व मिश्री खां की आराजी को पन्ना जाट ने खरीद ली है।

पश्चिम — मंगरी, धूलखेड़ा का रास्ता

उत्तर — सूरजमल जाट मृतक उसका पुत्र घीसा

दक्षिण— लक्ष्मण ढोली जिसने कृषि आराजी पन्ना जाट को बेच दी।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इसके पश्चात सम्वत् 2025 के करीब कृषि आराजियात का बंदोबस्त कार्य नये सिरे से हुआ व इनके साबिक आराजी नं0 1–3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के नये नम्बर बने जो क्रमशः इस प्रकार है– 474, 475, 476, 477, 478, 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 जटाशंकर व भू–प्रबन्ध के अधिकारियों ने आपस में मिली भगत कर उक्त कृषि आराजियात के राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 जटाशंकर के नाम पर अंकित कर दी है। जिसका वादी को कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा पटवारी हल्का ने भी वादी को मुगलाते में रखा। इस प्रकार मिली भगत कर गलत रूप से उक्त कृषि आराजियात के नाम पर रहने दी। जबकि उक्त कृषि आराजियात पर जटाशंकर का कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही उक्त आराजी किसी भी प्रकार से जटाशंकर को आवंटित की गई।

इस प्रकार इन कृषि आराजियात से प्रतिवादी जटाशंकर का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। उक्त कृषि आराजियात का गलत अंकन प्रतिवादी जटाशंकर के नाम पर बंदोबस्त वालो ने गलती से कर लिया था। उसका लाभ उठाते हुए जटाशंकर ने उक्त कृषि आराजियात 29.07.1998 को प्रतिवादी रामदेव को विक्रय कर दी व एक विक्रय पत्र तादादी 1,11,000 रूपये का लिखकर रजिस्ट्री करवा दी । वह विक्रय पत्र वादी के मुकाबले शून्य प्रभावी है। क्योंकि जटाशंकर को इस कृषि आराजियात को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उक्त विक्रय पत्र शून्य है व इससे जटाशंकर या रामदेव को किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। उक्त विक्रय पत्र के पश्चात प्रतिवादी रामदेव उक्त कृषि आराजियात पर आया व वादी को नाजायज रूप से ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दी व कहा की उसने यह जमीन जटाशंकर से खरीद की है। तब वादी ने जानकारी की तो बंदोबस्त विभाग की उक्त गलती व विक्रय पत्र की जानकारी हुई। इसलिए नकल लेकर यह दावा पेश करने की नोबत आई है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह उसकी कोई भी प्रतिनिधी उक्त कृषि आराजियात के वादी के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा व रोक–टोक उत्पन्न नहीं करे व उक्त कृषि आराजियात का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे व प्रतिवादीगण उक्त कृषि आराजियात रेवेन्यू रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज करे व उक्त तथाकथित विक्रय पत्र शून्य होने से बेअसर घोषित माने।

उक्त कृषि आराजियात की सिंचाई हेतु एक 230 फीट गहरा ट्यूबवेल भी खुदवाया है। जिसमें वादी को 30 हजार रूपये खर्च हुए व अभी इस कास्त में वादी ने मक्का, तिल्ली, मुगफली की कास्त बो रखी है व इस प्रकार वादी उपरोक्त भूमि पर मुतवातिर सवंत् 2011 से काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 03 को दफा 80 जा0 दी0 का नोटिस दिये बैगर ही यह दावा पेश किया जा रहा है क्योंकि प्रतिवादी रामदेव वादी से भूमि का कब्जा छीनने पर उतारू है व कथित शून्य प्रभावी विक्रयपत्र के आधार पर उक्त कृषि आराजियात का नामान्तकरण रामदेव अपने नाम पर खुलवाकर वादी से कब्जा छीनने पर उतारू है। इसलिए यदि वादी 90 दिवस का धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस देकर उनकी अवधी पूर्ण होने का इन्तजार कर उसके बाद दावा पेश करता है तो उसका दावा पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा क्योंकि उसका कब्जा छीन लिया जावेगा। पटवारी हल्का श्री रामदेव के नाम पर नामान्तकरण खोलने पर आमादा है। जिसके लिए कब्जे की तस्दीक हेतु उक्त आराजियात पर आया था व उसने भी वादी को कब्जा छीन लेने की धमकी दी थी। इसलिए उक्त वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने से तत्काल पेश किया जा रहा है। इसके बाबत धारा 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा रहा है। वाद हेतु विक्रय पत्र दिनांकित 29.07.1998 से पैदा हुआ है। जबकि जटाशंकर ने एक विक्रय पत्र प्रतिवादी रामदेव के पक्ष में लिखवाया व प्रतिवादी रामदेव अवैध रूप से वादी से कब्जे छीनने का प्रयास किया। जिस पर वादी ने एक फौजदारी मामला भी जटाशंकर व रामदेव के विरूद्ध लगवाया है। यह वाद हेतुक तब से निरन्तर जारी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त कृषि आराजियात ग्राम मालोला तह0 व जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जो न्यायालय आप के क्षेत्राधिकार में होने से यह वाद पत्र न्यायालय आप में पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार करवाते हुए वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान करवायी जावे कि वादपत्र के कलम नं0 2 में वर्णित कृषि आराजियात को राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार कास्तकार दर्ज कर उसे इन आराजियात का खातेदार कास्तकार घोषित करवाया जावे अर्थात वर्तमान आराजी नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा को वादी के नाम पर रेवेन्यू अभिलेख में दर्ज करवाया जावे एवं जटाशंकर का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाया जावे। विक्रय पत्र दिनांकित 29.07.1998 जो कि जटाशंकर ने रामदेव के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया है उसे शून्य घोषित करवाया जावे व वादी के मुकाबले बेअसर घोषित करवाया जावे व इस विक्रय पत्र के आधार पर कोई नामान्तकरण फैसला नहीं किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि संवत् 2011 से चले आ रहे इन कृषि आराजियात के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करे व उसके उपयोग–उपभोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करे व बाधा व दखल पैदा न करे। हरजा खर्चा मुकदमा मय महनताना वकील वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो वादी के पक्ष मे पाया जावे वह भी दिलवाया जावे।

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 05.03.2003 को जवाब पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 02.06.2004 को निम्न तनकी कायम की गई जो इस प्रकार है–

1. आया वादग्रस्त आराजियात के पूर्व खातेदार जटाशंकर पिता कालुराम जी ब्राहम्ण नि0 ईरास से आ0 नं0 474 रकबा 17 बिस्वा, 475 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आ0 नं0 476 रकबा 18 बिस्वा, आ0 नं0 477 रकबा 11 बिस्वा, आ0 नं0 478 रकबा 8 बिस्वा, आ0 नं0 479 रकबा 1 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा लगानी 5.31 पैसा को जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 29.07.1998 (30.07.1998) को प्रतिवादी रामदेव ने 1,11,000 रूपये में क्रय कर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाया, तभी से उक्त प्रतिवादी उपरोक्त आराजियात पर काबिज होकर इसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 02

2. आया दिनांक 29.07.1998 को उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के अलावा प्रतिवादी संख्या 01 ने 10/– रूपये के स्टाम्प पर प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव के पक्ष में विक्रयशुदा आराजियात बाबत सिपूर्दगी पत्र एवं रसीद लिख कर दी।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 02

3. आया विक्रय पत्र 29.07.1998 (30.07.1998) को शून्य करार देने का अधिकार उक्त न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को ही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 02

4. आया दिनांक 21.10.1998 को वादी ने मय 10–12 व्यक्तियों को लेकर प्रतिवादी संख्या 02 से वादग्रस्त आराजियात से बल पूर्वक मारपीट कर जबरन कब्जा छीनना चाहा।

विलोपित 20.10.2005 **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 02**

5. आया वादपत्र के कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि आराजियात को रजिस्टर्ड रेकार्ड में वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करा आराजियात का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

6. अनुतोष ?

दिनांक 24.08.2005

पूर्व की तनकीयात नं0 4 को विलोपित की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा0 दी0 का पेश किया। प्रकरण में वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा0 दी0 को दिनांक 24.08.2005 को स्वीकार किया गया। प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य मे दिनांक 20.03.2006 को अमरचन्द के बयान पेश हुए, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई। वादी की ओर से साक्ष्य में दिनांक 23.05.2006 को बालु का शपथ पत्र पेश हुआ। दिनांक 02.01.2007 को वादी के गवाहो से जिरह की गई। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 17.07.2007 को साक्ष्य व जिरह करवाई गई। प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 30.01.2008 को वादी का वादपत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया।

वादी के प्रार्थना पत्र प्रकरण को पुनः नम्बर का प्रस्तुत करने पर सुनवाई कर प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.01.2009 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी श्री रामदेव गुर्जर की और से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी एवं जिरह में नियत होकर प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य नहीं कराई जाने से दिनांक 19.02.2010 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रकरण बहस में नियत किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 8–1 (क) (3) के निर्णय दिनांक 15.03.2007 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे वादी ने दिनांक 22.03.2010 को विड्रो कर लिया गया। वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0 दी0 का पेश हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2011 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 01/1 से 1/3 का जवाब दिनांक 08.06.2011 को पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 28.12.2011 को पुनः निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया वादी अनुसुचित जाति का भूमिहीन कृषक होकर ग्राम मालोला साबिक आराजी नं0 1–3 में रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी को तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 300/1971 में दिनांक 19.08.1971 को नियमन से आवंटन की तथा उक्त आराजी पर सम्वत् 2011 से निरन्तर कब्जा है।

जिम्मे वादी

2. आया सेटलमेंट के दौरान वादपत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित आराजियात सेटलमेंट विभाग वालो ने गलती से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी। जिसे निरस्त कराने का वादी अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3. आया वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित साबिक नं0 के नए नम्बर वाद पत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित अनुसार है।

जिम्मे वादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 29.07.1998 विधि विरूद्ध होने से अवैध व शून्य है।

जिम्मे वादी

प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया गया। साक्ष्य वादी अमरचन्द पुत्र उदा चमार से प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 09.05.2012 को जिरह की गई। साक्ष्यवादी मे देवीलाल बैरवा के बयान कलमबद्ध किये गये।

वादी की दस्तावेजी साक्ष्य मे अतिरिक्त जिलाधीश का पत्र कमांक प्रदर्श पी–1 है। तहसीलदार भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 308 सन 1971 का निर्णय प्रदर्श पी–2 है। वादी के नाम नामान्तकरण खोला गया नामान्तकरण की नकल प्रदर्श पी–3 है। पर्चा मौका दिनांक 13.01.1966 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 4 है। इसी प्रकार से दिनांक 12.11.1999 को नामान्तकरण पर्चा मौका बनाया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 5 है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 19.08.1971 को वादी को जो सूचना पत्र भेजा गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 6 है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1–3 मीन की जमाबन्दी सम्वत 2024–2027 की प्रदर्श पी– 7 है। मिलान खसरा सम्वत 2025 आराजी नम्बर 1–3 मीन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 8 व पी– 9 है। जटाशंकर के खाते की नकल सम्वत 2024–2027 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी– 10 है। प्रतिवादी जटाशंकर द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के यहा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पी– 11 है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय की प्रतिलिपि पी– 12 है। जटाशंकर द्वारा रामदेव को विक्रय की गई वादग्रस्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श पी– 13 है। जटाशंकर के खाते की नकल सम्वत 2051 से 2054 तक की प्रदर्श पी– 14 है।

साक्ष्य वादी की जिरह करवाई गई। प्रकरण दिनांक 05.06.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में भंवरलाल पिता जटाशंकर निवासी ईरास के बयान दिनांक 19.11.2014 को कलमबद्ध किए। साक्ष्य प्रतिवादी से वादी अधिवक्ता ने जिरह की, जिरह अधुरी रही। साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह दिनांक 12.10.2015 को की गई। साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 21.09.2022 को बंद की गई। वादी अधिवक्ता ने दिनांक 06.02.2023 को निवेदन किया कि दिनांक 12.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 के वारीसान भंवरलाल जाट के बयान कलमबद्ध किए गए। प्रकरण वादी की जिरह में रिर्जव रखा गया। पुनः खोली जाकर जिरह का अवसर चाहा गया। दिनांक 21.09.2022 को साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। जिसे पुनः खोली गई एवं प्रकरण प्रतिवादी के गवाह से जिरह वादी हेतु नियत किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से दिनांक 26.07.2023 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई । प्रतिवादी के साक्ष्य दस्तावेज में जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 प्रदर्श डी–3 है। जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 प्रदर्श डी–4 हैं। जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श डी– 5 है। जमाबन्दी सम्वत 2047–2050 प्रदर्श डी– 6 है। जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 प्रदर्श डी– 7 है। नामान्तकरण संख्या 51 एवं 75 दिनांक 27.12.1959 प्रदर्श डी– 8 है। नकल आदेश भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा दिनांक 01.11.1969 प्रदर्श डी– 9 है। प्रार्थना पत्र जटाशंकर दिनांक 21.10 प्रदर्श डी– 10 है। बयान घीसुजाट प्रदर्श डी– 11, बयान मिश्री प्रदर्श डी– 12, बयान जटाशंकर प्रदर्श डी– 13 है। प्रकरण बहस में नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दूओं को दोहराते हुए ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 474 से लगायत 479 से जटाशंकर का नाम हटाकर वादी के नाम पर दर्ज करने की प्रार्थना की गई हैं एवं जटाशंकर ने दिनांक 29.07.1998 को जो विक्रयपत्र रामदेव के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया है जिसे शून्य घोषित किया जाकर विक्रयपत्र के आधार पर कोई नामान्तकरण निर्णित नहीं किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जावे की वादी के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नही करे। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर इन्द्राज कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 01 जटाशंकर से क्रय की गई है। वादग्रस्त आराजियात का प्रतिवादी संख्या 01 जटाशंकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार था। प्रतिवादी संख्या 02 ने नियमानुसार भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया लेकिन राजस्व रेकार्ड में जटाशंकर के नाम ही दर्ज चला आ रहा है। जटाशंकर की मृत्यू हो गई। वादग्रस्त आराजियात जटाशंकर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है। वादी का वादपत्र खारिज कराया जावे।

वादी का वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाबदावा का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार ग्राम मालोला के साबिक आराजी नम्बर 1–3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा के पत्रांक एफ /12–17 (3)/रा0 ए0 /71/363 दिनांक 17.08.1971 से श्री अमरचन्द पुत्र उदा चमार निवासी रेडवास के नाम दिनांक 19.08.1971 को नियमन करते हुए गैर खातेदारी से दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 18.08.1972 को अमरचन्द पिता उदा चमार निवासी रेडवास के नाम ग्राम मालोला के बिलानाम आराजी नम्बर 1–3/57 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी से दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए। ग्राम मालोला की जमाबन्दी सम्वत 2024–27 में अमरचन्द पिता उदा चमार के नाम पर आराजी नम्बर 1–3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी से दर्ज हुई। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान साबिक आराजी नम्बर 1–3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 जटाशंकर पुत्र कालु राम ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई। जटाशंकर ने उक्त कृषि आराजियात को दिनांक 29.07.1998 को प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव पिता बालु राम गुर्जर निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा को 1,11,000 रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गई।

विक्रयशुदा भूमि जटाशंकर ब्राहम्ण के नाम से रामदेव पुत्र बालु राम गुर्जर निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा के नाम दर्ज हो गई। वादी ने वादपत्र दिनांक 22.08.1998 को प्रस्तुत की है, जबकि वादग्रस्त आराजियात श्री रामदेव आत्मज बालुराम गुर्जर निवासी आजाद नगर के नाम पर दिनांक 30.07.1998 को ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पंजीबद्ध हो चुकी है यानि वादग्रस्त आराजियात का कब्जा जटाशंकर ब्राहम्ण द्वारा रामदेव गुर्जर को दिनांक 29.07.1998 को ही सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात पर अमरचन्द पिता उदा चमार निवासी रेडवास का कब्जा सिद्ध नहीं होता है। श्री अमरचन्द पिता उदा चमार के नाम पर साबिक आराजी नम्बर रकबा 1–3 रकबा 05–11 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं हुई है।

ग्राम मालोला के साबिक आराजी नम्बर 1–3/57 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो अमरचन्द पिता उदा चमार निवासी रेडवास को दिनांक 19.08.1971 को तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा नियमन की गई है जो राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2024–27 में अमरचन्द चमार के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हो चुकी है लेकिन भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उक्त आराजी के संबंध में जटाशंकर वल्द कालु राम ब्राहम्ण निवासी ईरास ने एक आवेदन पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा को प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 1–3 को अपने नाम पर दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 520/69 निर्णय दिनांक 01.11.1969 को ग्राम मालोला के हाल आराजी नम्बर 474 से लगायत 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि जटाशंकर वल्द कालुराम ब्राहम्ण साकिन ईरास के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के आदेश से दर्ज हुई है। जटाशंकर ब्राहम्ण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1998 से रामदेव आत्मज बालुराम गुर्जर निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज ग्राम मालोला से नवसृजित ग्राम नारायणपुरा के आराजी नम्बर 474 से लगायत 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि जटाशंकर आत्मज कालु राम ब्राहम्ण निवासी ईरास के नाम दर्ज है। वादी द्वारा न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 520/69 निर्णय दिनांक 01.11.1969 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की जाना प्रकट होता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर है। ग्राम ईरास के आ0 नं0 474, 475, 476, 477, 478, 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1998 को जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण निवासी ईरास से प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव ने 1,11,000 रूपये में उक्त भूमि को क्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1998 को पंजीकृत कराया गया, जो "पी13" है। तभी से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। राजस्व रेकार्ड में भी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दर्ज हो चुका जो "पी14" है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तनकी नम्बर 02 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर है। प्रतिवादी संख्या 01 ने 10 रूपये के स्टाम्प पर प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव के पक्ष में विक्रयशुदा आराजियात का सिपुर्दगी पत्र एवं रसीद लिख कर दी है, जो प्रदर्श डी–2 से प्रमाणित होता है। यह तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1998 को निरस्त व शून्य करार देने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने वादी के वादपत्र के खण्डन में निम्न विधिक दृष्टांत पेश किये है जो इस प्रकार है क्रमशः– RRT 2014 (2) Page N. 894, RRT 2014 (2) Page N. 1266, RRT 2023 (1) Page N. 415, RRT 2021 (1) Page N. 27, RRT 2015 (2) Page N. 1221, RRT 2016 (1) Page N. 462, RRT 2013 (1) Page N. 166, RRT 2013 (1) Page N. 201, RRT 2015 (2) Page N. 1077, RRT 2011 (2) Page N. 881, RRT 2011 (2) Page N. 1149, है। यह तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 05 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। वाद पत्र के कलम नं0 02 में वर्णित कृषि आराजियात राजस्व रेकार्ड में जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण निवासी ईरास के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजियात पर जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण का कब्जा होकर इनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव को विक्रय किया जा चुका है जिससे वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता हैं। यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

नवीन तनकी संख्या 01 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। ग्राम मालोला के साबिक आराजी नम्बर 1–3 में रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी के नाम दिनांक 19.08.1971 को नियमन हुई जो "पी 2" है। लेकिन उक्त भूमि पर नियमन के पश्चात वादी का कब्जा नहीं होने से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज कर दी गई है मिलान खसरा जो "पी 8" है। इस भूमि पर जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए जो "पी 12" है, जिससे वादी का उक्त आराजियात में कब्जा नहीं रहा। जिससे यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

नवीन तनकी संख्या 02 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 474 से लगायत 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा होने से सेटलमेंट विभाग ने बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग के प्रकरण संख्या 520/69 निर्णय दिनांक 01.11.1969 से उपरोक्त आराजियात जटाशंकर पुत्र कालुराम ब्राहम्ण साकिन ईरास के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए है। वादी ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 01.11.1969 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ने उपरोक्त आराजियात अपने नाम पर होने से प्रतिवादी संख्या 02 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से एवं कब्जा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिससे वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

नवीन तनकी संख्या 03 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। ग्राम मालोला के साबिक आराजी नं0 1–3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि के हाल आ0 नं0 474 से लगायत 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि मिलान खसरा अनुसार सही है। यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

नवीन तनकी संख्या 04 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 474 से 479 कुल किता 06 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 29.07.1998 को जटाशंकर पुत्र कालुराम ब्राहम्ण निवासी ईरास ने रामदेव पुत्र बालुराम गुर्जर को जरिये विक्रय पत्र 1,11,000 रूपये में विक्रय कर दिनांक 30.07.1998 को उप–पंजीयक भीलवाड़ा से पंजीयन करवाया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त व शून्य घोषित कराने के लिए राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Page N. 5

प्रकरण में तनकी संख्या 1, 2, 3 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की गई है एवं तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। नवीन तनकी संख्या 1 से लगायत 4 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। ग्राम मालोला तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1–3 मी. रकबा 273–01 बीघा भूमि सरकारी बिलानाम में से 05–11 बीघा भूमि तहसीलदार भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/1971 दिनांक 19.08.1971 से अमरचन्द पिता उदा चमार निवासी नाराणपुरा के नाम नियमन की गयी नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 19.08.1972 से गैर खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में दिनांक 05.01.1973 को अमल–दरामद किया गया। इसी दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा मिलान में अमरचन्द पिता उदा चमार निवासी नाराणपुरा को ट्रेस पाशर बताते हुये साबिक आराजी नम्बर 1–3 के हाल आराजी नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479 कुल किता 06 रकबा 04–17 बीघा भूमि श्री जटाशंकर पिता कालूराम ब्राहम्ण सा0 नई ईरांस के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा ने प्रकरण संख्या 520/69 निर्णय दिनांक 01.11.1969 से पारित किये गये। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात सेटलमेन्ट के पश्चात् लगातार जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण सा0 नई ईरांस के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादी द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 520/69 निर्णय दिनांक 01.11.1969 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिये सेटलमेन्ट से पूर्व ही वादी अमरचन्द पिता उदा चमार के नाम गैर खातेदारी दर्ज रहने से वादी को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

–:आदेश:–

प्रकरण में तनकी संख्या 1, 2, 3 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की गई है एवं तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। नवीन तनकी संख्या 01 से लगायत 02 व 04 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) आर0टी0 ए0 का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा–फरिकेन अपना–अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी करे।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 385/2003 निर्णय दिनांक :– 05-03-2025

उनवान

1. अमरचन्द पिता उदाजी चमार निवासी नाराणपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
   1/1 प्यारा पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/2 भैरू पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/3 रामचन्द्र पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/4 जगदीश पिता अमरचन्द उम्र वयस्क
   1/5 प्रेम पुत्री अमरचन्द समस्त निवासी नाराणपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जटाशंकर पिता कालुराम ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी ईरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
   1/1 भंवर लाल पुत्र जटाशंकर ब्राहम्ण
   1/2 सीता पुत्री जटाशंकर ब्राहम्ण
   1/3 रूकमण बाई पत्नी जटाशंकर ब्राहम्ण समस्त निवासी ईरास तह0 एवं जिला भील.
2. रामदेव पिता बालूरामजी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बादल टाकीज के पीछे आजादनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत
2. प्रतिवादी संख्या 01/1 लगायत 1/3 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव
3. प्रतिवादी संख्या 02 की और से अधिवक्ता श्री नानू लाल तेली
4. प्रतिवादी संख्या 03 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01/1 से लगायत 01/3 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 की और से अधिवक्ता श्री नानूलाल तेली उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 05-03-2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

प्रकरण में तनकी संख्या 1, 2, 3 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की गई है एवं तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। नवीन तनकी संख्या 01 से लगायत 02 व 04 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) आर0टी0 ए0 का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा–फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा